

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 80 / 2016

दर्ज दिनांक:—09.06.2016

1. सौमोती पता—प्रार्थी
बनाम
2. मेघा पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
उदयवीर सिंह

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—15.03.2019

वकील वादीगण उप./ बार-बार हिदायत के बाबजूद भी प्रतिवादी की तलवी नहीं कराई गई है। कई अवसर दिये जा चुके हैं। दिनांक 06.02.2019 को तलवी न कराने पर दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

सत्यमेव जयते अक्षय गोदरा, आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official